प्रारुप–11

परियोजना का नाम-- संगलाकोटी–भैंडगांव–गुण्डिडा मोटर मार्ग का तिलखोली–जजेड़ी तक विस्तार।

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

हस्ताक्षर एवं नाम प्रयोक्ता एजेन्सी
विभागीय मुहर सहित
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
लो० नि० वि० पौड़ी

कार्य का नाम :– **माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत संगलाकोटी–भैड़गांव–गुडिण्डा मोटर मार्ग का तिलखोली–जजेड़ी तक विस्तार का कार्य।**

जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकास खण्ड पोखड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत संगलाकोटी–भैड़गांव–गुडिण्डा मोटर मार्ग का तिलखोली–जजेड़ी तक विस्तार (प्रथम चरण) कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 5927/III(2)/13–31(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22/11/2013 के द्वारा 12.000 किमी0 लम्बाई हेतु ₹191.10 लाख की प्राप्त है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग पूर्व निर्मित संगलाकोटी–भैड़गाव–गुडिण्डा मोटर मार्ग के ग्राम गुडिण्डा के आगे से प्रारम्भ होकर ग्राम सल्ड, मेहरगांव मल्ला, तल्ला, बराथगांव, बडोल गांव, पडोल गांव होते हुये ग्राम जजेड़ी तक जाता है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण से उक्त ग्रामों लगभग 1437 जनसंख्या सीधे लाभान्वित होगी। इस मोटर मार्ग के निर्माण में 0.497 हे0 सिविल भूमि, 0.161 हे0 वन पंचायत भूमि व 1.138 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कुल 1.796 हे0 वनभूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी जो कि मार्ग निर्माण हेतु भूमि की न्यूनतम आवश्यकता है। इस समरेखण के अतिरिक्त मार्ग निर्माण हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हैं। इस परियोजना के निर्माण में वनभूमि व नापभूमि में कुल 147 वृक्ष, चीड़ व साल प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस मोटर मार्ग के निर्माण से उक्त क्षेत्रीय ग्रामों का आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक विकास सम्भव हो सकेगा व उक्त ग्राम सीधे विकास खण्ड मुख्यालय पोखड़ा, संगलाकोटी व सतपुली से जुड़ जायेंगे।

ह0/
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
परियोक्ता एजेन्सी
लो0 नि0 वि0 पौड़ी